'' श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीबद्व निर्माण मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ''

निर्माण श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत करने उद्देशय से अनेक कल्याण योजनाऍ लागू की गई है। ऐसे श्रमिक जो वर्ष में कम से कम 3 माह निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, अपना पंजीयन हिताधिकारी के रूप में कराकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

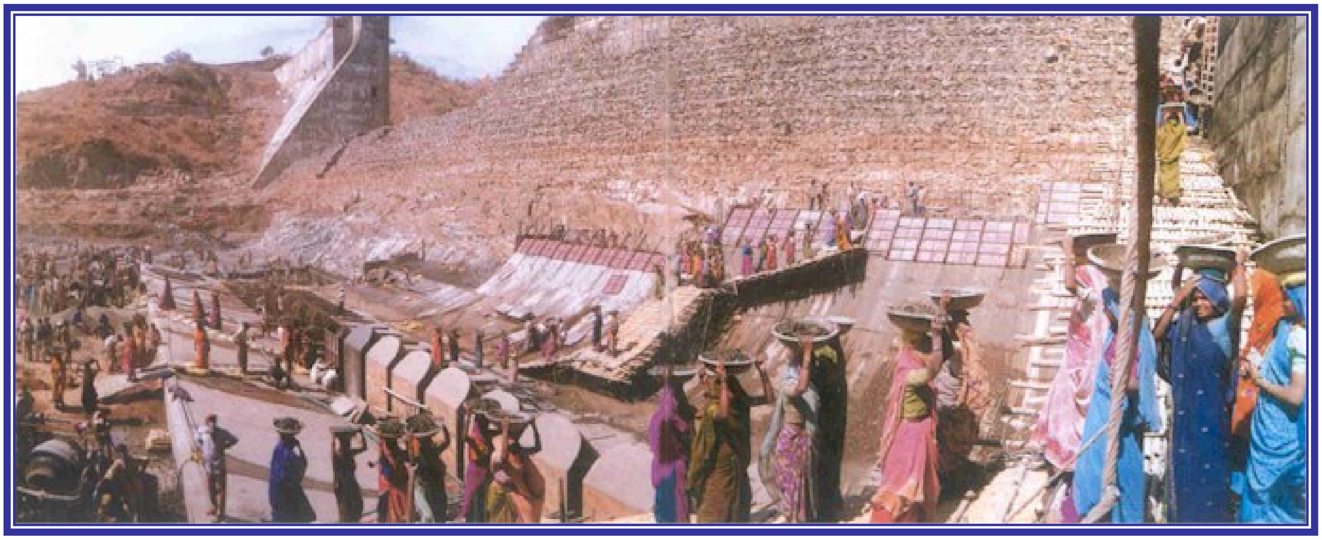

निर्माण मजदूर कौन है ?

1. पत्थर काटने, तोडने व पीसने वाले
2. राज (मैसन) या ईटों पर रद्दा ररने वाले
3. बढ़ई (कारपेन्टर)
4. पुताई करने वाले (पेन्टर)
5. फिटर या बार बेन्डर
6. सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर
7. इलेक्ट्रीशियन
8. मैकेनिक
9. कुएं खोदने वाल
10. बेल्डिंग करने वाले
11. मुख्य मजदूर
12. मजदूर

13. स्प्रेमेन या मिक्सर मेन (सड़क बनाने में लगे)
14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले
15. कुएं मे गाद (तलछट) हटाने वाल गोताखोर
16. हथोड़ा चलाने वाले
17. छप्पर डालने वाले
18. मिस्त्री
19. लौहार
20. लकडी चीरने वाले
21. कॉलकर
22. मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाल सहित)
23. पंप आपरेटर
24. मिक्सर चलाने वाले
25. रोलर चालक
26. बड़े यांत्रिक कार्य जैसे मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी
27. चौकीदार
28. मोजाइक पालिश करने वाले
29. सुरंग कर्मकार
30. संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार
31. सड़क कर्मकार
32. चट्टान तोड़ने वाले या खनि कर्मकार
33. संनिर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाल
34. चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार
35. बाढ़ कटावरोधी कार्य में लगे कर्मकार
36. बांध, पुल, सडक या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार
37. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन (ईट बनाने में लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार)
38. पंड़ाल संनिर्माण में लगे कर्मकार।

पंजीयन कैसे और कहॉ ?

पंजीयन के लिये स्थानीय श्रम कार्यालय में आवेदन देकर पंजीयन कराया जावे। आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क 5/– रूपये नगद और अपनी पासपोर्ट साईज फाटो लगायी जावें। पंजीयन को बनाये रखने के लिये 10/– रूपये वार्षिक अभिदाय जमा करना अनिवार्य है। पहले साल का अभिदाय पंजीयन के समय ही जमा किया जा सकता है।

" निर्माण मजदूरो के लिये कल्याण योजनाएं "

निर्माण मजदूरो के लिये कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के लिये मण्डल द्वारा निम्न योजनाएं लागू की गई है :–

1. बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना	–	रू. 20 हजार से रू. 50 हजार तक
2. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना	–	रू. 50 से रू. 500 तक
3. मेधावी छात्र/ छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना	–	रू. 1 हजार से रू. 5 हजार तक
4. प्रसूति सहायता योजना	–	रू. 3 हजार से रू. 5 हजार तक
5. दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	–	रू. 20 हजार तक
6. मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना	–	रू. 22 हजार तक
7. चिकित्सा सहायता योजना	–	रू. 50 हजार तक
8. विवाह सहायता योजना	–	रू. 10 हजार तक

9. निर्माण श्रमिकों की आपात सेवा हेतु निशुल्क एम्बुलेंस व्यवस्था।
10. दिहाड़ी (पीठा श्रमिक) के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड।

विस्तृत जानकारी के लिये क्लिक करें :–